शीर्ष प्राथमिकता

संख्या: 2024 / 68–5–2019–810 / 2017 टी0सी0

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा (डी0जी0एस0ई0)।
   उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक)
   उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक : 02 दिसम्बर, 2019

विषयः उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों के अध्यापकों के वर्ष 2019–20 हेतु अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक (बेसिक) कार्यालय के पत्रांक शि0नि0(बे0) 19806–09 / 2019–20 दिनांक 15.06.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों के अध्यापकों के वर्ष 2019–20 हेतु अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों के अध्यापकों के वर्ष 2019–20 हेतु अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में निम्नवत् नीति निर्धारित की जाती है :–

(1) (क) ऐसे नियमित पुरूष शिक्षक जो अपने तैनाती / कार्यरत जनपद में न्यूनतम 3 वर्ष की एवं महिला शिक्षिकाएं जो अपने तैनाती / कार्यरत जनपद में न्यूनतम 01 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर चुकी हो एवं उनके विरूद्ध पूर्व में संस्थित किसी विभागीय कार्यवाही में उन्हें दण्डित न किया गया हो, वे अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण आवेदन करने के पात्र होंगे।

(ख) दिव्यांग पुरूष / महिला शिक्षक को कार्यरत जनपद में क्रमशः 03 वर्ष एवं 01 वर्ष की अनिवार्य सेवावधि से छूट रहेगी। ऐसे दिव्यांग पुरूष / महिला शिक्षक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु आवेदन कर सकेगे।

(ग) ऐसे शिक्षक / शिक्षिकायें जिनका वेतन भुगतान नियमित रूप से हो रहा हो, वे ही आवेदन करने हेतु पात्र होगें।

(घ) जिन अध्यापक / अध्यापिकाओं के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही गतिमान हो, सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उनका आवेदन पत्र सत्यापित एवं अग्रसारित नहीं किया जायेगा।

(2) प्रत्येक जनपद में विद्यालयवार रिक्तियों का आकलन शासनादेश संख्या–572 / 68 –5–2019–15(149) / 10 टी0सी0–1 दिनांक 17.06.2019 के आधार पर किया जायेगा और वही रिक्तियां अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद को प्रेषित की जायेंगी। अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की प्रक्रिया

हेतु सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा रिक्तियों का विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) जनपद की रिक्तियों का विवरण जनपद की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा।

(4) अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु परिषद द्वारा प्रदेश के बहुप्रसारित 02 समाचार पत्रों में विस्तृत समय–सारिणी का प्रकाशन, निर्धारित वेवसाइट का उल्लेख करते हुए, कराया जायेगा।

(5) अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु इच्छुक एवं अर्ह अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा निर्धारित वेवसाइट पर ऑन–लाइन आवेदन किया जायेगा, जिसमें अध्यापकों द्वारा अधिमान क्रम में आनलाइन आवेदन करते समय 05 पृथक–पृथक जनपदों का विकल्प अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। किसी भी दशा में 05 जनपदों का विकल्प भरने हेतु नियत स्थानों में जनपदों की पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। स्थानान्तरण चाहने वाले अध्यापकों का स्थानान्तरण आवेदित/विकल्प दिये गये जिले में उनके अधिमान क्रम में प्रथम विकल्प एवं रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा, तदुपरान्त रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर उनका स्थानान्तरण उनके द्वारा दिये गये द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ एवं पंचम विकल्प के आधार पर किया जायेगा ।

(6) किसी भी जनपद में स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत कुल अध्यापकों की संख्या के 15 प्रतिशत की सीमा तक ही अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण किये जायेंगे।

(7) ऑन–लाइन आवेदन पत्र में अंकित विवरण/तथ्यों से सम्बन्धित प्रमाणित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ अपलोड किये जायेंगे। उदाहरण के लिये दिव्यांगता/असाध्य रोग के आधार पर किये गये आवेदन–पत्र के साथ एम्स/पी0जी0आई0 अथवा संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आशय हेतु निर्गत प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।

(8) अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु अर्ह पाये गये ऑन लाइन आवेदन पत्रों में से वरीयता के आधार पर स्थानान्तरण किये जायेंगे। वरीयता निर्धारण हेतु भारांक अंको का निर्धारण निम्नवत् होगा :–

क्र0	मानक	भारांक
1	सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये 01 अंक	अधिकतम् 35 अंक
2	<u>दिव्यांग श्रेणी</u> (I)जो स्वयं दिव्यांगताकी श्रेणी में हों (सेवा में आने से पूर्व अथवा पश्चात्) अथवा (II) पारिवारिक सदस्यों की दिव्यांगता (मात्र पति/पत्नी अथवाबच्चे) अथवा (III)जिनकी पत्नी/पति/बच्चे किसी दुर्घटना में शारीरिक रूप से अपंग अथवा दिव्यांग हो गये हों। (सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा)	10 अंक

क्र0	मानक	भारांक
3	ऐसे शिक्षक–शिक्षिकाएं जो स्वयं अथवा जिनके पति–पत्नी अथवा बच्चे असाध्य/गम्भीर बीमारी यथा कैंसर/एचआईवी– एडस /किडनी failure/ लीवर failure/ स्वयं के हृदय की बाईपास सर्जरी होने/ स्वयं/पत्नी अथवा बच्चे के हीमोफीलिया (ब्लड ट्रांसफ्यूजन) से ग्रसित होने पर/ स्वयं/पत्नी अथवा बच्चे के स्पास्टिक (spastic) अथवा मस्तिष्क पक्षाघात (सेरेब्रल पैरालिसिस) से पीड़ित हों एवं उनके द्वारा किसी प्रतिष्ठित चिकित्सालय जैसे एम्स/पी0 जी0आई0 अथवा संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया हो।	10 अंक
4	महिला शिक्षिकाएं	05 अंक
5	ऐसे अध्यापक/ अध्यापिकाएं जिनके पति/पत्नी (spouse) दोनों ही सरकारी सेवा में हों।	10 अंक
6	एकल माता–पिता (Single Parents) यथा, विधवा/ विधुर/ तलाकशुदा इत्यादि (सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर)	05 अंक
7	राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक	05 अंक
8	राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक	03 अंक

<u>नोट–</u> उपर्युक्त के संदर्भ में यदि गुणवत्ता अंक समान होते है तो नियुक्ति तिथि में वरिष्ठतम् तथा नियुक्ति तिथि में समानता होने पर अधिक आयु वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं को स्थानान्तरण में वरीयता प्रदान की जायेगी।

(9) अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण वर्तमान शैक्षिक वर्ष में मात्र एक बार ही किये जायेंगे।

(10) अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण जनपद में रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार किये जायेंगे।

(11) अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण अधिकार के रूप में मान्य नहीं होगा।

(12) अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के फलस्वरूप स्थानान्तरित होने वाले अध्यापकों को प्रत्येक दशा में आदेश निर्गत होने के पश्चात् समय–सारणी में निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद से अदेयता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर नवीन जनपद में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में उनका स्थानान्तरण स्वतः निरस्त हो जायेगा।

(13) आकांक्षी (Aspirational) जनपदों यथा–सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, सोनभद्र, चन्दौली, फतेहपुर, चित्रकूट एवं बलरामपुर में से प्रत्येक जनपद से उतने ही अध्यापकों को अन्यत्र जनपदों में स्थानान्तरित किया जायेगा, जितने अध्यापकों द्वारा अन्य जनपदों से सम्बन्धित आकांक्षी जनपद में आने के लिए स्थानान्तरण हेतु अनुरोध किया जायेगा। परन्तु, यह प्रावधान भारतीय सेना/वायु सेना/नौ सेना/अर्ध सैनिक बलों यथा, CRPF/ CISF/ SSB/ ASSAM RIFLES/ ITBP/NSG/ BSF, से सम्बन्धित प्रकरणों पर लागू नही होगा।

(14) आकांक्षी (Aspirational) जनपदों सहित सभी जनपद के अध्यापकों के पारस्परिक (Mutual) स्थानान्तरण किये जा सकेंगे। पारस्परिक (Mutual) स्थानान्तरण में दोनों अध्यापकों की आपसी सहमति का शपथ पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा और दोनों को ही अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पारस्परिक (Mutual) एवं सामान्य अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की प्रक्रिया समानान्तर रूप से साथ–साथ चलेंगी।

(15) ऐसे अध्यापिकाएं/अध्यापक जिनके पति/पत्नी (Spouse) भारतीय सेना/वायु सेना/नौ सेना अथवा अर्ध सैनिक बलों यथा,CRPF/ CISF/ SSB/ ASSAM RIFLES/ ITBP/

NSG/ BSF,में कार्यरत हैं और इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, उन्हें उनके इच्छित जनपद/इच्छित ग्राम पंचायत में, स्थानान्तरित किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रावधान का लाभ मात्र एक बार ही अनुमन्य होगा।

(16) अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण का पूर्व में लाभ लेने वाले अभ्यर्थी, जिनका स्थानान्तरण हो चुका है, पुनः आनलाइन स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे। परन्तु, यह प्रावधान ऐसे अभ्यर्थियों पर, जोकि पूर्व में अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं परन्तु असफल रहे हैं/भारतीय सेना/वायु सेना/नौ सेना/अर्ध सैनिक बलों यथा, CRPF/ CISF/ SSB/ ASSAM RIFLES/ ITBP/NSG/ BSF/दिव्यांगों/ असाध्य रोगी तथा एकल माता–पिता (Single Parents) से सम्बन्धित प्रकरणों पर लागू नही होगा।

(17) आवेदन हेतु 03 वर्ष की न्यूनतम अर्हता की तिथि शैक्षिक सत्र 2019–20 के लिये अर्न्तजनपदीय स्थानान्तरण हेतु विज्ञापन निर्गत किये जाने की तिथि से मानी जायेगी।

(18) अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन जनपद में स्थानान्तरित होने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं की वरिष्ठता का निर्धारण उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के नियम 22(2) के अनुरूप किया जायेगा ।

(19) किसी भी विद्यालय के बन्द/एकल होने की दशा में स्थानान्तरित अध्यापक तब तक कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक उस विद्यालय में अध्यापक की व्यवस्था न हो जाय।

(20) अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किये जायेगे। मैनुअल आवेदन पत्र (यथा रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट, कोरियर, दस्ती आदि) स्वीकार नहीं किये जायेंगे । आवेदन पत्र निर्धारित प्रक्रियानुसार त्रुटिरहित भरने कीजिम्मेदारी सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका की होगी। त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन की अन्तिम तिथि के उपरान्त कोई भी संशोधन ग्राह्य नही होगा। ऑनलाइन आवेदनोपरान्त भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट सम्बन्धित अध्यापक द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को 02 प्रतियों में उपलब्ध कराया जायेगा, जिसकी प्राप्ति रसीद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा अध्यापक को दी जायेगी।

(21) सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस प्रकार प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों में अंकित विवरण/तथ्यों का कार्यालयीय अभिलेखों से सत्यापन की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित आवेदन पत्रों की प्रिन्टेड कापी आवश्यक संलग्नकों/साक्ष्यों सहित आवेदनपत्र भरने की तिथि से एक सप्ताह की अवधि के अन्दर आवेदन पत्र की एक प्रति अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेगे तथा एक प्रति सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा एवं इस आशय का प्रमाणपत्र भी परिषद मुख्यालय को देना अनिवार्य होगा कि" जनपद———में अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु कुल———— प्रिन्टेड ऑनलाइन आवेदन पत्र परस्तुत किये गये, जिसमें सत्यापित आवेदन पत्रों की संख्या—————तथा निरस्त आवेदन पत्रों की संख्या—————है ।

(22) कोई भी आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त नहीं किया जायेगा। निरस्त किये गये आवेदन का कारण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा । निरस्त आवेदन पत्रों की सूची सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज को उपलब्ध करायी जायेगी तथा उक्त सूची की एक प्रति कार्यालय के सूचना–पट्ट पर भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व्दारा चस्पा की जायेगी।

(23) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित अध्यापक से इस आशय का भी शपथपत्र लिया जायेगा कि सम्बन्धित अध्यापक द्वारा स्थानान्तरित जनपद में अपनी ज्येष्ठता का दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा ।

(24) ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र, एवं नगर क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कार्यवाही अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के पूर्ण होने के पश्चात् द्वितीय चरण में किया जायेगा।

(25) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के फलस्वरूप जनपद में योगदान देने वाले अध्यापकों की तैनाती शासनादेश सं0 572/68 –5– 2019 –15 (149)/10 टी0सी0–1, दिनांक 17.06.2019 में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदनोपरान्त की जायेगी।

(26) स्थानान्तरण हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात कोई भी अर्न्तजनपदीय स्थानान्तरण सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा नहीं किया जायेगा।

(27) राज्य सरकार द्वारा अन्तर्जनपदीय स्थानान्तण के सम्बन्ध में दावों/वरियता हेतु उपलब्ध कराए गए सभी प्रमाण–पत्रों/अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित निर्गत किए जाने वाले प्राधिकारी एवं संस्थान से कराया जाएगा। किसी भी प्रकार से कोई भी अभिलेख फर्जी/कूटरचित पाया जाता है तो सम्बन्धित कार्मिक को सेवा से बर्खास्त करते हुए उसके विरूद्ध एवं फर्जी/कूटरचित अभिलेख निर्गत करने वाले अधिकारी के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराकर कठोर कार्यवाही की जाएगी।

(28) अर्न्तजनपदीय स्थानान्तण के सम्बन्ध में प्रस्तावित समय–सारणी निम्नवत है:–

क्रमांक	कार्यवाही	संशोधित दिनांक/समयावधि
1	आनलाइन आवेदन आमंत्रण	20.12.2019 से 20.01.2020
2	आवेदन पत्रों का परीक्षण/सत्यापन	21.01.2020 से 05.02.2020 तक
3	दावे /आपत्तियों की प्राप्ति/निस्तारण	06.02.2020 से 20.02.2020 तक
4	अन्तिम सूची का प्रकाशन	15.03.2020

कृपया तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

भवदीया,

02/12/19

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2– राज्य परियोजना निदेशक/निदेशक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ।
3– निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन लखनऊ।
4– निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0/साक्षरता/माध्यमिक शिक्षा,उ0प्र0 लखनऊ।
5– सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज।
6– वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा निदेशालय/बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज।
7– समस्त संयुक्त शिक्षा निदेशक/समस्त प्राचार्य, डायट उत्तर प्रदेश।
8– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश।
9– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/वित्त एवं लेखाधिकारी उत्तर प्रदेश।
10–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव